न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा, आई.ए.एस

पत्रावली संख्या 15/2019/अपील

मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद अकबर हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी मौहल्ला व्यापारियान, वार्ड नं. 05, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)

–अपीलांट्स

बनाम

1. दडकी पत्नी स्व. जमना उर्फ जगना – **(फौत) – (नाम हजफ)**
2. प्रभात पुत्र स्व. जमना उर्फ जगना
3. शिवभगवान पुत्र स्व. जमना उर्फ जगना
   समस्त 1 ता 3, जाति खटीक, निवासीगण वार्ड नं 35, मोहल्ला खटीकान, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)
4. हर खास व आम

–रेस्पोन्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार सीकर के प्रकरण संख्या 03/2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी मो. फारूक आदि बनाम दड़की देवी आदि में तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.01.2019 (अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित मु.नं. 02/19)

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल कुमावत, अधिवक्ता, अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता, रेस्पोंडेट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 04 सितम्बर, 2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील वकील **श्री मदनलाल कुमावत** द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत न्यायालय तहसीलदार सीकर के प्रकरण संख्या 03/2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी मो. फारूक आदि आदि बनाम दड़की देवी आदि में तहसीलदार सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.01.2019 (निर्णय में अंकित मु.नं. 02/19) के विरूद्ध पेश की गयी है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 31.12.2013 के विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 19.05.2015 को किया जाकर इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सीकर के निर्णय दिनाक 31.12.2013 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि, अपीलांट्स द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है उनमें से अपर्याप्त मुद्रांकित विक्रय इकरारनामें दिनांक 25.11.1981, 05.03.2009, 09.09. 2009, 17.02.1992, 05.03.1992 एवं 12.12.1984 (कुल 6) आदेश से एक माह की अवधि में उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर से पूर्ण मुद्रांकित कर तहसीलदार, सीकर के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें। प्रकरण में तहसीलदार स्वयं सभी पक्षों को पूर्ण सूचना देकर स्वयं गवाहों के समक्ष मौका निरीक्षण करें। अपीलांट्स द्वारा पूर्व में सुनवाई के समय प्रस्तुत दस्तावेजों एवं लिखित जवाब पूर्ण विवेचन कर उचितं आदेश पारित करें। रेस्पो. को भी अपना पक्ष/लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिया जावे। उक्त आदेश के साथ प्रकरण सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, सीकर के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई अवलोकन नहीं किया और न ही आज्ञा दिनांक 29.01.2019 में दौराने बहस उठाये गये बिन्दुओं का विवेचन किया गया ना ही उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का विवेचन किया गया और केवल मात्र सरसरी तौर पर ही अपनी आज्ञा दिनांक 29.01.2019 पारित कर दी। रेस्पो. का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानकर उन्हें बेदखल करने की आज्ञा पारित की है जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत है।

(2) उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आज्ञा दिनांक 29.01.2019 पारित करने से पूर्व न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये निर्देशों के तथ्यों को नजरअंदाज कर अपनी आज्ञा दिनांक 29.01. 2019 पारित की है, जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं लिखित जवाब का कोई विवेचन नहीं किया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट्स अनावेदकगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी तथा मियााद के बिन्दू पर न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2019 में उक्त दोनों ही पहलुओं को नजरअंदाज करके आदेश पारित किये हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(3) रेस्पो. संख्या 1 के पति व 2 ता 3 के पिता द्वारा भूमि खसरा नम्बर 731 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय दिनांक 14.11.1984 को यासीन पुत्र बफाती, यासीन पुत्र अब्दुल्ला, जमाल पुत्र अब्दुल्ला, अलादीन पुत्र अब्दुल्ला समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नं 33, मौहल्ला व्यापारियान, सीकर को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 12.11.1984 को विक्रय कर कब्जा वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप से अपीलांट आदि को संभला दिया और अपना कब्जा शून्य कर लिया जो अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत विक्रय अनुबंध पत्र दिनाक 12.11.1984 से प्रमाणित था। जिस पर बतौर गवाह रेस्पो. संख्या 2 व 3 के हस्ताक्षर हैं। जिनको अपीलांट्स ने अपने जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर व बहस के दौरान अस्वीकार नहीं किया और उक्त यासीन, जमाल और अलादीन द्वारा उक्त भूमि को अब्दुल शकूर पुत्र मदनी जाति मुसलमान काजी निवासी वार्ड वार्ड नं. 26 पुराना मौहल्ला खटीकान स्कूल के पास सीकर को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 17.02.1992 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। जिसको क्रय करने के पश्चात से ही उक्त भूमि को आवासीय प्लाटों में विभक्त कर दिया गया और उसमें मकानात बनाकर उनमें आवास निवास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उक्त भूमि का स्वरूप दिनांक 17.02.1992 से ही कृषि भूमि का ना होकर मौके पर आवासीय भूमि का हो गया। उसके पश्चात से उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं हई। उक्त आवासीय प्लाटों में से प्लाट संख्या 10, 11, 12 व 19, 20, 23 एवं 29 को दिनांक 18.04.2006 को बिहारीलाल व मुश्ताक को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र के विक्रय कर कब्जा संभला दिया और बिहारीलाल व मुश्ताक द्वारा उक्त प्लाटों को छोटे–छोटे प्लाटों में विभक्त कर दिनांक 01.08.2006 को हाजी फतेह मौहम्मद व मौहम्मद सदीक को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उक्त हाजी फतेह मौहम्मद व सदीक द्वारा उक्त आवासीय भूखण्डों को अख्तर हुसैन पुत्र अब्दुल चौहान बोलकर व जुलेखा पत्नी अख्तर हुसैन चौहान को दिनांक 29. 03.2007 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया जो उक्त प्लाटों पर आवस निवास कर रहे हैं और उन्होने बिजली पानी के कनेक्शन भी ले रखे हैं। इसके अलावा उक्त भूमि का स्वरूप भी आवासीय है। इस प्रकार उक्त भूमि व प्लाट नगर परिषद की सीमा के वार्ड नं. 44 में है तथा दिनांक 12.11.1984 से उक्त भूमि पर रेस्पो. संख्या 1 ता 3 का कोई कब्जा नहीं रहा है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आज्ञा दिनांकित 29.01.2019 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कृषि भूमि खसरा नम्बर 731 का स्वरूप दिनांक 19.02.1992 के बाद से ही काश्त भूमि का

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

नहीं रहा उक्त तथ्य की पुष्टि हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.08.2009 व 05. 05.2010 से व पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2011 तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.21016 से भी प्रमाणित था। इस कारण धारा 183 बी के प्रावधान उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को कतई नजरअंदाज कर अपनी आज्ञा दिनांक 29.01.2019 पारित की है।

(5) रेस्पो. द्वारा उक्त प्रकरण का आवेदन जानकारी के बावजूद भी मियाद बाहर पेश किया गया था जो मियाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण चलने योग्य नहीं था और इस सम्बन्ध में रेस्पो. द्वारा मियाद बाहर आवेदन प्रस्तुत किये जाने और देरी को कन्डोन किये जाने बाबत कोई आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया।

(6) उक्त प्रकरण में बहस अन्तिम सुने जाने के पश्चात निर्णय हेतु पत्रावली रखी गई उसके पश्चात अपीलांट्स ने जब भी फैसले की जानकारी बाबत पूछा तो उसे कहा गया कि फैसला पेन्डिग है होते ही बता दिया जायेगा। परन्तु दिनांक 12.03.2019 से पूर्व उसे फैसले की जानकारी नहीं दी गई तथा दिनांक 12.03. 2019 को अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में जाकर उक्त प्रकरण में निर्णय बाबत पूछताछ की तो उसे पता चला कि उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 29.01.2019 की तारीख को कर दिया गया है। जिसकी नकल हेतु अपीलांट ने आवेदन दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत किया। जिसकी नकल उसे दिनांक 13.03.2019 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के अन्दर मियाद प्रस्तुत है और जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(7) अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2019 निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. संख्या 1 की मृत्यु हो जाने के कारण एवं रेस्पो. संख्या 1 के विधिक वारिसान पहले से ही रेस्पो.

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

संख्या 2 व 3 के रूप में रिकार्ड पर होने के कारण रेस्पो. संख्या 1 का नाम हजफ किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश गुप्ता उपस्थित आये।

3. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन कर निवेदन किया है कि, यह अपील भूमि खसरा नम्बर 731 ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर से सम्बन्धित है। उक्त विवादित भूमि को रेस्पो. संख्या 1 के पति व 2 ता 3 के पिता द्वारायासीन पुत्र बफाती, यासीन पुत्र अब्दुल्ला, जमाल पुत्र अब्दुल्ला, अलादीन पुत्र अब्दुल्ला समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नं 33, मौहल्ला व्यापारियान, सीकर को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र के विक्रय कर कब्जा वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप से अपीलांट आदि को संभला दिया और अपना कब्जा शून्य कर लिया जो अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत विक्रय अनुबंध पत्र दिनाक 12.11.1984 से प्रमाणित था। जिस पर बतौर गवाह रेस्पो. संख्या 2 व 3 के हस्ताक्षर हैं। जिनको अपीलांट्स ने अपने जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर व बहस के दौरान अस्वीकार नहीं किया और उक्त यासीन, जमाल और अलादीन द्वारा उक्त भूमि को अब्दुल शकूर पुत्र मदनी जाति मुसलमान काजी निवासी वार्ड वार्ड नं. 26 पुराना मौहल्ला खटीकान स्कूल के पास सीकर को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 17.02.1992 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। जिसको क्रय करने के पश्चात से ही उक्त भूमि को आवासीय प्लाटों में विभक्त कर दिया गया और उसमें मकानात बनाकर उनमें आवास निवास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उक्त भूमि का स्वरूप दिनांक 17.02.1992 से ही कृषि भूमि का ना होकर मौके पर आवासीय भूमि का हो गया। उसके पश्चात से उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं हई। उक्त आवासीय प्लाटों में से प्लाट संख्या 10, 11, 12 व 19, 20, 23 एवं 29 को दिनांक 18.04.2006 को बिहारीलाल व मुश्ताक को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र के विक्रय कर कब्जा संभला दिया और बिहारीलाल व मुश्ताक द्वारा उक्त प्लाटों को छोटे–छोटे प्लाटों में विभक्त कर दिनांक 01.08.2006 को हाजी फतेह मौहम्मद व मौहम्मद सदीक को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उक्त हाजी फतेह मौहम्मद व सदीक द्वारा उक्त आवासीय भूखण्डों को अख्तर हुसैन पुत्र अब्दुल चौहान बोलकर व जुलेखा पत्नी अख्तर हुसैन चौहान को दिनांक 29.03.2007 को विक्रय कर कब्जा

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

संभला दिया जो उक्त प्लाटों पर आवस निवास कर रहे हैं और उन्होने बिजली पानी के कनेक्शन भी ले रखे हैं। इसके अलावा उक्त भूमि का स्वरूप भी आवासीय है। इस प्रकार उक्त भूमि व प्लाट नगर परिषद की सीमा के वार्ड नं. 44 में है तथा दिनांक 12.11.1984 से उक्त भूमि पर रेस्पो. संख्या 1 ता 3 का कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 731 का स्वरूप दिनांक 19.02.1992 के बाद से ही काश्त भूमि का नहीं रहा उक्त तथ्य की पुष्टि हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.08.2009 व 05.05.2010 से व पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2011 तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.21016 से भी प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा इस तथ्य को नजअंदार कर अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली किये जाने एवं पेनल्टी लगाये जाने के आदेश दिनांक 29.01.2019 पारित किये गये हैं। रेस्पो. द्वारा उक्त प्रकरण का आवेदन जानकारी के बावजूद भी मियाद बाहर पेश किया गया था जो मियाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण चलने योग्य नहीं था और इस सम्बन्ध में रेस्पो. द्वारा मियाद बाहर आवेदन प्रस्तुत किये जाने और देरी को कन्डोन किये जाने बाबत कोई आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2019 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पो. ने कथन किया कि, उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 731 ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर के खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। रेस्पो. को तात्कालिक समय में रूपयों की जरूरत होने के कारण पैसे उधार लिये थे तथा विक्रय अनुबंध लिखा गया था। जिसकी आड़ में अपीलांट्स ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 में अपीलांट को अपर्याप्त मुद्रांक पर अंकित विक्रय अनुबंधों को पूर्ण मुद्रांकित करवाये जाने के आदेश भी दिये गये थे, परन्तु रेस्पो. द्वारा 10 वर्ष की अवधी बीत जाने के के उपरांत आज दिवस तक भी विक्रय अनुबंधों को पूर्ण मुद्रांकित नहीं करवाये गये हैं, और मूल अनुबंध भी आज दिवस तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। अतः अतिक्रमियों द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर धारा 183(बी) के तहत अतिक्रमियो को बेदखल किये जाने तथा 50 गुना पेनल्टी वसूल किये जाने का का पारित आदेश को बहाल रखा जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–

- हस्तगत मामला अनुसूचित जाति की भूमि खसरा नम्बर 731 वाकै ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने से सम्बन्धित है। जिससे सम्बन्धित विधिक प्रावधान धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित हैं। तदंर्तगत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाकर गैर अनुसूचित जाति द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने एवं 50 गुना पेनल्टी लगाये जाने की व्यवस्था है।
- पूर्व में जिला कलेक्टर सीकर द्वारा दिनांक 19.05.2015 को उक्त मामले का निर्णय पारित कर अतिक्रमियों को आदेशित किया गया था कि वे अपने द्वारा जिन अपर्याप्त मुद्रांकित विक्रय इकरारनामों के आधार पर भूमि क्रय करना बताते हैं, को एक माह के भीतर डी.आई.जी स्टाम्प से इम्पाउण्ड/पूर्ण मुद्रांकित करवाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें। जो अवधि काफी समय पहले ही पूर्ण हो चुकी है। अब तक 10 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, परन्तु अतिक्रमियों ने स्टाम्प पूर्ण इम्पाउण्ड/पूर्ण मुद्रांकित करवाकर पेश नहीं किये हैं। तथाकथित विक्रय इकरारनामे अपर्याप्त मुद्रांक पर तैयार करवाये गये हैं और मूल प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा ना ही साबित किये गये हैं। ऐसी स्थिति मे विक्रय इकरारनामें के आधार पर अतिक्रमी कोई बचाव लेने के पात्र नहीं है। अतिक्रमियों ने पूरा मुद्रांक शुल्क व पेनल्टी अदा नहीं कर राजस्व की हानि भी पहुंचाई है।
- अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील में अपर्याप्त मुद्रांकित विक्रय इकरारनामें दिनांक 25.11.1981, 05.03.2009, 09.09.2009, 17.02.1992, 05.03.1992 एवं 12.12.1984 (कुल 6) का उल्लेख किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर का यह अपीलीय आदेश दिनांकित 29.09.2025 अपर्याप्त मुद्रांकित विक्रय इकरारनामें दिनांक 14.11.1981, 17.02.1992, 18.04.2006, 01.08.2006 एवं 29.03.2007 (कुल 5) से सम्बन्धित है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील के प्रारम्थिक तथ्यों को गलत टंकित किया जाकर प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

- धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि का बेचान/अन्तरण विधि वर्जित होने के कारण ऐसा समव्यवहार अथवा प्रलेख आरम्भ से शून्य व प्रभावहीन है। इस कारण क्रेता/अतिक्रमियों को कोई अधिकार क्लेम करने का हक नहीं है और उनका कब्जा बहैसियत अतिक्रमी होता है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी इस न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं है बल्कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के हित व अधिकारों का संरक्षण किया जाना कानूनन आवश्यक है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के प्रकरण संख्या 03/2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी मो. फारूक आदि बनाम दड़की देवी आदि में तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.01.2019 (अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित मु.नं. 02/19) यथावत रखा जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक **04 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर